

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना
उनवानी रामसिंह गुर्जर बनाम भूमिधारी मु.सं. 204/2025

30-06-2025


पत्रावली आज पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा 2025 के तहत कैम्प स्थल अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत सिरोही में पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार नीमकाथाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त हो चुकी हैं जो अभिलेख पर ली जाती हैं। वकील प्रार्थी ने शपथ पत्र पेश किये जो शामिल मिसल किये गये। वकील प्रार्थी ने मुताबिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अं० धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं पेशशुदा शपथ-पत्रों का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी के निवेदन पर सगौर मनन किया गया। चूंकि राजस्व ग्राम राणासर के पुराने भूमि ख०नं० 221/540 में जरिए नामान्तरकरण संख्या .212 द्वारा प्रार्थी, क्रे पिता झाबर, भगवाना, माला पि० बीजा हिस्सा 1/4 कौम गुर्जर के नाम से खातेदारी दर्ज हुई थी जिसका नोट जमाबन्दी सम्बत 2029 से 2032 में अंकित है जिसका अंकन 2058 से 2061 तक प्रार्थी के पिता का नाम झाबर पुत्र बीजा दर्ज चला आ रहा था इसके पश्चात सम्बत 2070 से 2073 में भूमि के नये ख०नं० 442 बन गये जिसमें प्रार्थी के पिता झाबर पि. बीजा का नाम लिपिकीय भूलवश दर्ज होने से रह गया। उक्त तथ्य की पुष्टि तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त रिपोर्ट से होती हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :-

आदेश

तन ग्राम राणासर पटवार हल्का आगवाडी तहसील नीमकाथाना अवस्थित पुराना ख.नं. 221/540 जिसके नवीन ख०नं० 442 में जमाबन्दी सम्बत 2058-61 अनुसार झाबर, भगवाना, माला पि. बीजा हिस्सा 1/4 दुरूस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दपत्र हो। यह निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से मजमें आम में सुनाया गया।




(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)